<u>कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5वीं–8वीं/दक्षता आधारित आकलन/सामान्य/2024–25 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

1. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त, राजस्थान।

2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त।

विषय :– दक्षता आधारित आकलन द्वितीय (CBA) के आयोजन संबंधी दिशा निर्देशों के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पत्रांकः शिविरा/माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/दक्षता आधारित आकलन/61186/2024–25/पार्ट–4 दिनांक 23.12.2025 राजकाज रेफन्स नम्बर–19513569

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारम्भिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी व महत्वपूर्ण योजना दक्षता आधारित आकलन (CBA) सत्र 2025–26 के अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित का वर्ष में दो बार कम्पीटेन्सी बेस्ड आकलन किया जाता है। **<u>उक्त के क्रम में कक्षा 3,4,6 व 7 हेतु दक्षता आधारित आकलन द्वितीय, दिनांक 14 मार्च से 17 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा।</u> सत्र 2025–26 में दक्षता आधारित आकलन द्वितीय हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में <u>कक्षा 3,4,6 व 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है।</u>** इस आकलन प्रक्रिया के राज्य भर में समयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं–

<u>दक्षता आधारित आकलन–2 की समय सारणी</u>

दिनांक	वार	समय	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कक्षा 7
14.03.2026	शनिवार	**01.30 P.M. से 02.30 P.M.**	गणित	हिन्दी	गणित	हिन्दी
16.03.2026	सोमवार	**01.30 P.M. से 02.30 P.M.**	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
17.03.2026	मंगलवार	**01.30 P.M. से 02.30 P.M.**	अंग्रेजी	गणित	अंग्रेजी	गणित

1. प्रश्नपत्र संग्रहण एवं वितरणः–

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20867800

अ. समस्त प्राचार्य डाईट अपने जिले के लिए उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करेंगे जो स्वयं डाईट या राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है, प्रथमतया यह संग्रहण एवं वितरण केन्द्र जिला मुख्यालय पर ही स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता के दृष्टिगत यह जिले में किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि संग्रहण एवं वितरण केन्द्र का चयन करते समय सुरक्षा, सहजता व सुगम परिवहन एवं पूर्व निर्धारित सुरक्षा मानकों व मापदण्डों की अनुकूलता आदि को भी दृष्टिगत रखा जावे।

ब. प्राचार्य डाईट समस्त यह सुनिश्चित करें कि 41 जिला व्यवस्था अनुसार ही गोपनीय सामग्री का संग्रहण एवं वितरण केन्द्र नियत करते हुए संपूर्ण व्यवस्था संपादित करें।

2. **नवगठित 7 जिलों (डीग, खैरथल–तिजारा, कोटपुतली–बहरोड, फलौदी, ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर) व इनके पूर्ववर्ती मूल जिलों (भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर) से संबंधित प्राचार्य डाईट ये विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान सत्र में 41 जिला व्यवस्थानुसार प्रश्नपत्रों का वितरण किया जा रहा है, अतः अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक व समस्त ब्लॉक्स सीबीईओ. से तत्काल समन्वय करते हुए पीईईओ./यूसीईईओ. विद्यालयों के अन्तर्गत भौतिक रूप से आने वाले (अर्थात् अमुक ब्लॉक का प्रत्येक राजकीय विद्यालय जिस ब्लॉक के पीईईओ./यूसीईईओ. विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन है, उसकी अद्यतन सूची प्राप्त करते हुए) अधीनस्थ विद्यालयों के नाम, विद्यालयों के विशुद्ध एन.आई.सी. कोड, संबंधित ब्लॉक्स एवं संबंधित पीईईओ./यूसीईईओ. स्कूलों के नाम व एन.आई.सी. कोड इत्यादि सूचनओं पर आधारित अद्यतन सूची तैयार कर लें, जिसके अनुसार संबंधित विद्यालय के पीईईओ./यूसीईईओ. के माध्यम से समय पर गोपनीय सामग्री वितरित की जा सके।**

3. **जिस दिवस को संबधित 7 नवगठित व पूर्व मूल जिलों को प्रश्नपत्रों के बॉक्स प्राप्त होंगे, उसी दिन संबंधित प्राचार्य डाईट बॉक्सों के ऊपरी कवर पर चस्पा विद्यालयों के एन.आई.सी. कोड की सूची अपने पास अद्यतन की हुई सूची के अनुसार मिलान करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के समस्त ब्लॉक्स के समस्त राजकीय विद्यालयों के लिए प्रश्नपत्र/गोपनीय सामग्री आवंटित बॉक्सेज में समुचित संख्या में संधारित/प्राप्त हुए हैं व कोई विद्यालय छूट नहीं रहा है। यदि किसी विद्य**

RajKaj Ref No.: 20867800

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

ालय के प्रश्नपत्र पैकेट संबंधित बॉक्स में संधारित/प्राप्त नहीं है तो उस विद्यालय का एन.आई.सी. कोड संबंधित ब्लॉक के अन्य किसी पीईईओ./यूसीईईओ. अथवा अन्य किसी ब्लॉक के पीईईओ./यूसीईईओ. से संबंधित बॉक्स पर चस्पा सूची में शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित त्रुटिपूर्ण पैकिंग वाले बॉक्स से उक्तानुसार गलत मैप्ड विद्यालय के प्रश्नपत्र पैकेट उस बॉक्स से पृथक् करते हुए संबंधित वास्तविक/भौतिक रूप से उपयुक्त पीईईओ./यूसीईईओ. के बॉक्स में उत्तरदायी व विश्वसनीय अधिकारियों की उपस्थिति में शुचिता पूर्ण तरीके से शिफ्ट/स्थानांतरित कर दिये जावें। इस कार्य को समय रहते प्रश्नपत्र प्राप्ति वाले दिवस पर पूर्ण सावधानी/शुचिता/पारदर्शिता से सम्पादित कर लिया जावे।

यह चरण विद्यालयों तक सही संख्या में प्रश्नपत्रों की पंहुच सुनिश्चित करने हेतु अति महत्वपूर्ण चरण है, उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले किसी भी स्थिति में रिजर्व प्रश्नपत्रों का उपयोग व आवंटन नहीं किया जावे। यदि सभी बॉक्सों की जांच के उपरान्त भी किसी विद्यालय हेतु प्रश्नपत्र अप्राप्त हों तभी रिजर्व प्रश्नपत्रों से उसे आवंटन किया जावे।

4. **गोपनीय मुद्रक द्वारा (7 नवगठित जिलों सहित) कुल 41 जिलों को प्रश्नपत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक 06.03.2026 से 12 मार्च 2026 तक की जाएगी।** प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर नियुक्त अधिकारी/कार्मिक उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्त्ता से वार्त्तालाप हो सके और प्रश्नपत्र आपूर्ति निर्बाध सम्पन्न हो जाए। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्नपत्र आपूर्ति संभावित है, की जानकारी पंजीयक कार्यालय द्वारा समस्त प्राचार्य डाइट को यथासमय दूरभाष के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी।
5. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों की राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतः प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जारी करेंगे।
6. संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के पैकेट/बॉक्स पीईईओ वार/यूसीईईओ. वार प्राप्त होंगे। शालादर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा के आधार पर यह पैकिंग करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईईओ. के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट/बॉक्स होगा जिस पर **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित होगा।

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20867800

7. नोपीईईओ या विदाउट पीईईओ अंकित पैकेट/बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर उनके पीईईओ/यूसीईईओ. का निर्धारण पूर्व में डाइट स्तर पर समेकित की गई सूचना/सूची से किया जाएगा। इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्नपत्रो के पैकेट्स को संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ. के पैकेट/बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाए ताकि वितरण दिनांक 12.03.2026 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जो किसी पीईईओ/यूसीईईओ. के साथ मैप न हो।
   मैपिंग/टैगिंग हेतु बिन्दु संख्या 2 व 3 का अध्ययन करते हुए तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
8. जिले के संग्रहण एवं वितरण केन्द्रों द्वारा निर्धारित तिथि को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनेटरिंग में प्रश्नपत्रों के पैकेट/बॉक्स का वितरण समान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्राचार्य डाइट स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को संग्रहण एवं वितरण केन्द्र पर उपस्थित रहने हेतु आग्रह करने बाबत अधिकृत होंगे।
9. प्रत्येक सीबीईओ व्यक्तिशः स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करेंगे, वे इस प्रक्रिया में अपने साथ दो विज्ञ/दक्ष अधिकारी/कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीईईओ/यूसीईईओ. के पैकेट/बॉक्स प्राप्त करने के साथ–साथ **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित पैकेट/बॉक्स में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्नपत्र भी प्राप्त कर लें जो कि उनके परिक्षेत्र मे स्थित हैं तथा शालादर्पण पोर्टल पर किसी भी पीईईओ/यूसीईईओ. के साथ मैप नहीं हैं। **परन्तु ऐसा करने से पूर्व बिन्दु संख्या 2 व 3 का अध्ययन करते हुए पहले उनके अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें। सीबीईओ उक्त कार्य में सहयोग के साथ–साथ उन्हें आवंटित किये जाने वाले रिजर्व पैकेट प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।**
10. समस्त सीबीईओ दिनांक 09.03.2026 से 12.03.2026 को अपने परिक्षेत्र के पीईईओ/यूसीईईओ. को प्रश्नपत्र पैकेट/बॉक्स का वितरण करेंगे। वे इसके साथ–साथ **नो पीईईओ** या **विदाउट पीईईओ** अंकित पैकेट/बॉक्स में रखे गए विद्य ालयों के प्रश्नपत्र भी संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ. को वितरित करेंगे।
11. प्रत्येक पीईईओ/यूसीईईओ. दिनांक 09.03.2026 से 12.03.2026 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्नपत्र लिफाफे (Envelopes) वितरित करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20867800

पीईईओ/यूसीईईओ. के पैकेट/बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3,4,6 व 7 तक के लिए हिन्दी, अंग्रेजी व गणित विषयों के बंद प्रश्नपत्र पैकेट्स होंगे। पीईईओ/यूसीईईओ. के पैकेट/बॉक्स में रखे गए प्रश्नपत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट/शीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से उनका आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा।

12. दक्षता आधारित आकलन–2 के राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के साथ संस्कृत शिक्षा विभाग से संमबद्वता प्राप्त राजकीय विद्यालय को सम्मिलित किया गया है। अतः जिले के संबंधित राजकीय संस्कृत विद्यालयो के प्राप्त प्रश्न–पत्र पैकेट सीबीईओ के माध्यम से वितरित करना सुनिश्चित करें।

13. दक्षता आधारित आकलन द्वितीय में कक्षा 3,4,6 व 7 तक तीन विषयों–हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित के अतिरिक्त/रिजर्व के प्रश्नपत्र पैकेट C.B.E.O रिजर्व के रूप में उपलब्ध होंगे जिन्हें संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास सुरक्षित रखे जावें। जिनका उपयोग प्रश्नपत्र कमी होने पर परीक्षा दिवसों पर उड़न दस्तों को प्रदान कर पूर्ति की जावे।

14. डाईट द्वारा परीक्षा दिवसों में जिला नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की जावे जिसकी सूचना जरिए मेल panjiyak8ppp@gmail.com पर प्रेषित करें।

15. शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए:–

अ. कक्षा 3,4,6 व 7 के लिए हिन्दी, अंगेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा।

ब. प्रश्नपत्र हल करने की अवधि एक घंटा रहेगी।

स. प्रत्येक विषय में कक्षा 3,4,6 व 7 तक के लिए प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न होंगे।

द. कक्षा 3,4,6 व 7 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा।

य. कक्षा 6 से 7 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्नपत्र और उत्तरपत्रक (ओसीआर शीट) पृथक पृथक मुद्रित होंगे। ओसीआर शीट एवं प्रश्नपत्र चार सीरीज (A,B,C,D) में उपलब्ध होंगे। अतः विद्यार्थी को समान सीरीज के प्रश्नपत्र एवं ओसीआर ही देना सुनिश्चित करें

र. परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य अलग से एक शीट पर किया जाए, प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना निषिद्ध है।

ल. परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, कक्षा 3,4,6 व 7 के परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पैंसिल द्वारा सही का निशान बनाना होगा तथा कक्षा 6,7 के परीक्षार्थी द्वारा ओ.सी.आर. में पेन्सिल से सही का निशान बनाना होगा ।

व. कक्षा 3,4,6 व 7 के लिए गणित विषय का प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में होगा।

RajKaj Ref No.: 20867800

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

16. बैठक व्यवस्थाः—

अ. परीक्षा केन्द्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षा कक्षों में उपयुक्त दूरी रखते हुए बैठक व्यवस्था की जाए।

ब. बैठक व्यवस्था करते समय केन्द्राधीक्षक यह ध्यान रखें कि एक कक्षा कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर दो या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बैठाया जाए।

स. संस्था प्रधान परीक्षा अवधि के दौरान वीक्षकों की भूमिका, बैठक व्यवस्था, प्रश्नपत्रों के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देकर परीक्षा की शुचिता व विश्वसनीयता बनाए रखें।

17. वीक्षकों के लिए :—

अ. परीक्षा केन्द्र पर कक्षाकक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना।

ब. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को समझाने मे आ रही कठिनाइयों का शुचिता के साथ निस्तारण करना। सही अर्थों में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न समझने में सहायता करें ना कि वे परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बताएं।

स. वीक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्नपत्र और ओसीआर शीट को सीधा रखेंगे।

18. प्रश्नपत्र (आकलन पत्र) को स्कैन करनाः—

अ. प्रत्येक आकलन पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा **शाला दर्पण शिक्षक एप** पर परीक्षार्थियों द्वारा चिह्नित आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्केन कर अपलोड किया जाएगा।

ब. शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्कैन करने के लिए उसे सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा।

स. शिक्षक यह भी ध्यान रखें के आकलन पत्र और ओ.सी.आर. शीट को स्कैन करते समय चारों कोने स्क्रीन पर भलीभांति नजर आएं ताकि पूरा एरिया स्कैन हो पाए।

द. आकलन पत्र और ओसीआर शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 19.03.2026 (गुरुवार) रात्रि 23:59 बजे तक है। अतः इस दिनांक से पूर्व ही शाला दर्पण शिक्षक एप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है।

Signature valid

Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

गोपनीय सामग्री के संग्रहण/वितरण हेतु टाइम–लाईन

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1	जिला संग्रहण केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति	06.03.2026 से 1203.2026
2	जिला संग्रहण केन्द्रों से सीबीईओ को गोपनीय सामग्री का वितरण	09.03.2026 से 12.03.2026
3	सीबीईओ से पीईईओ/यूसीईईओ. को गोपनीय सामग्री का वितरण	09.03.2026 से 12.03.2026
4	पीईईओ/यूसीईईओ. से क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालयों को गोपनीय सामग्री का वितरण	12.03.2026 से 13.03.2026

नोट : उक्त समय सारणी में अपरिहार्य कारणों से यदि कोई संशोधन होगा तो डाइट्स/सीबीईओ. के माध्यम से संबंधित समस्त को सूचित कर दिया जाएगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(शीशराम कुलहरी)
पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5वीं–8वीं/दक्षता आधारित आकलन/सामान्य/2024–25 दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारंभिक, समस्त।
7. पीईईओ/यूसीईईओ/राजकीय संस्था प्रधान समस्त को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Sheeshram Kulhari
Designation : Deputy Director
Date: 2026.03.05 22:04:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20867800